गैर मान्यता-प्राप्त इंजीनियरी कालेज

2917. **श्री अजीत जोगी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 27 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 853 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंजीनियरी कालेजों और समकक्ष संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक वर्ष 1990-91 के दौरान कितने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सभी कालेज अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कालेजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनके आवेदन परिषद के विचाराधीन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभागों में उप मंत्री कुमारी शैलजा): (क) और (ख) शैक्षिक वर्ष 1990-91 के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित (मान्य) संस्थाओं से लगभग 27900 छात्र, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और औषध निर्माण-विज्ञान में प्रथम डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

(ग) फिलहाल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, मौजूदा गैर-अनुमोदित डिग्री स्तर की संस्थाओं को मान्यता देने और नए कालेज स्थापित करने हेतु 159 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विदेशी संग्रहालयों में भारतीय मूर्तियां

2918. **डा० बापू कालदाते:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संग्रहालयों में बहुत सारी भारतीय मूर्तियां रखी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो चोरी-छिपे विदेशों में ले जाई गई मूर्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभागों) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विदेशों के संग्रहालयों में भारतीय मूर्तियों के होने की कोई विश्वसनीय तथा विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Appointment of Lecturers in Colleges Under Delhi University

2919. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that appointment of lecturers in the affiliated colleges of the Delhi University are made in violation of the University Grants Commission's rules; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE): (a) and (b) The University Grants Commission vide their notification dated 19th September, 1991 have made regulations regarding qualifications required of a person to be appointed to the teaching staff of a University and institutions affiliated to it. According to the information furnished by the University of Delhi and the UGC the appointments of lecturers in the affiliated colleges of the University are being made in accordance with the provisions of the existing Ordinances of the University. The UGC guidelines in this regard are being referred by the Delhi University to a Joint Committee of the Academic Council and the Executive Council of the University.

Performance of Geological Survey of India and Indian Bureau of Mines

2920. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) what is the performance of Geological Survey of India and Indian Bureau of Mines during the Seventh Plan and their finalised programme for Eighth Plan—in terms of contents strategies area coverage and specific problem etc., in various parts of the country; and

(b) the details of achievements made in the State of Maharashtra/Madya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Performance of Geological Survey of India (GSI) and Indian Bureau of Mines (IBM) during Seventh Plan and their programme for Eighth Plan in various parts of the country is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXV, Annexure No. 49]

(b) Achievements made by GSI and IBM during VII Plan period in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh are as under:—

1. **Geological Survey of India:**—As a result of survey/exploration carried out by GSI following mineral reserves/ resources were established in Maharashtra and Madhya Pradesh during the VIIth Plan period:—

Coper ore	— 0.83 million tonnes (MT) with 0.81% copper in Ranmangli block in Maharashtra.
Lead-zinc ore	— 8.38 MT with 6.80% zinc in Kolari Zone in Maharashtra.
Tine ore	— 6000 tonnes in Pushpal-Tongpal-Katekalyan in Bastar Dist., Madhya Pradesh.
Tungsten ore	— 4.72 MT with 0.241% WO_3 in Khobana, 2.50 MT with 0.15% WO_3 in Kuhi and 0.70 MT with 0.157% WO_3 in Bhaonri in Nagpur Dist., Maharashtra.
Coal	— 30 MT in Maharashtra and 2000 MT in Madhya Pradesh.

2. **Indian Bureau of Mines:**— IBM carried out 43 special studies, 48 mineral reject studies, 50 mine inspections in Madhya Pradesh and Maharashtra and made suggestions for improvement in the performance of the projects in conservation, development and environment performance etc., Market survey of dolomite, kyanite and sillimanite and three technical consultancy assignments were also completed for small and medium mines. Work study on productivity of Malanjkhand copper project in Madhya Pradesh, Monograph of copper including Malanjkhand deposit in Madhya Pradesh, Monograph of rock phosphate, an important mineral of Madhya Pradesh, environmental study of three important mines, work study on two important limestone mines, slope stability study of 5 large mines and 02 ore dressing investigations were completed for Maharashtra and Madhya Pradesh. 40 mining plans in Maharashtra and 211 mining Plans in Madhya Pradesh were approved during VII Plan period.

राज्यों को खनिजों के लिए रॉयल्टी

2921. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन विभिन्न राज्यों को रॉयल्टी प्रदान करती है जहां कोयला, पैट्रोलियम आदि खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस उत्पाद के लिए कितनी-कितनी रॉयल्टी दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार इस समय हिमाचल प्रदेश को पन-बिजली उत्पादन के लिए रॉयल्टी दे रही है अथवा विकट भविष्य में रॉयल्टी देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) केन्द्र सरकार कोयला और खनिज तेलों जैसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सहित किसी खनिज को निकालने के लिए राज्य सरकारों को रॉयल्टी नहीं देती है। केन्द्र सरकारी क्रमशः खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निकाले गए खनिजों और खजिन तेलों के लिए खनन पट्टा धारकों और तेल कंपनियों द्वारा देय रॉयल्टी की दरें निर्धारित करती हैं।

(ख) कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न खनिजों के लिए देय रॉयल्टी विवरण में दर्शायी गई है (नीचे देखिए) चूंकि ये दरें किसी खनिज को निकालने की मात्रा/मूल्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए किसी राज्य को देय रॉयल्टी की कोई निश्चित राशि नहीं होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संभावित कानूनी और संवैधानिक समस्याओं को देखते हुए।